

प्रेस नोट थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर दिनांक 28.08.2024

गोवश की तस्करी करने के आरोप में 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 राशि गोवंश, 01 अदद देशी तंमचा, 01 अदद जिन्दा कारतूस, 02 अदद चाकू, 02 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त रस्सी बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष पिपराइच के नेतृत्व में 30नि0 विकास कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुखबीर खास की सूचना पर अभियुक्त 1. सूरज चौहान व 2. सोलू यादव उर्फ सोनू यादव उर्फ विरेन्द्र यादव को 02 राशि गोवंश, 01 अदद देशी तंमचा, 01 अदद देशी कारतूस, 02 अदद चाकू, 02 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त रस्सी के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 694/2024 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27/28.08.24 को रात्रिगश्त के दौरान चौकी प्रभारी रमवापुर 30नि0 विकास कुमार सिंह मय पुलिस टीम को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि जंगल धूषण पी.एन. स्कूल के निकट भट्टे के पास कुछ व्यक्ति गोवंश को बांधकर पिकप पर लाद रहे है। इस सूचना पर मौके पर पहुँचकर अभियुक्तगण को उपरोक्त को गिरफ्तार कर मौके पर गौ-कसी करने के इरादे से बांधे गये 02 राशि गोवंश, 01 अदद देशी तंमचा, 01 जिन्दा अदद कारतूस, गोवंश बांधने के लिए प्रयुक्त रस्सी व 02 अदद चाकू व 02 अदद मोबाइल बरामद किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम,पता व आपराधिक इतिहास-

1.सूरज चौहान पुत्र रामनयन चौहान निवासी ग्राम तिनकोनिया नं0 2 रेंज चौकी जंगल धूषण थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0 005/2020 धारा 307, 34, 353, 427 भादवि थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 008/2020 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 232/2021 धारा 363/366 भादवि थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 407/2016 धारा 356/392 भादवि थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 694/2024 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

2. सोलू यादव उर्फ सोनू यादव उर्फ विरेन्द्र यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी ग्राम हरसेवकपुर नं0 1 टोला दहला थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0 951/2020 धारा 380/411/427/457 भादवि थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

2. मु0अ0सं0 954/2020 धारा 380/411/457 भादवि थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 008/2021 धारा 41/411 भादवि थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 694/2024 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 694/2024 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

02 राशि गोवंश, 01 अदद देशी तंमचा, 01 अदद देशी कारतूस, 02 अदद चाकू , 02 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त रस्सी

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 विकास कुमार सिंह थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 राजकुमार थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 जयप्रकाश त्रिपाठी थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
4. हे0का0 अफसर जमाल थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
5. का0 मनोज यादव थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
6. का0 संदीप यादव थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर